भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2464

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

वित्तीय समावेशन और ग्रामीण बैंकिंग सेवाएं

†2464. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खोले गए खातों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) सरकार द्वारा कृषि ऋण का पारदर्शी और समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार की कया कार्य योजना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जन धन दर्शक (जेडीडी) ऐप पर बैंकों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश ने लगभग व्यापक बैंकिंग कवरेज प्राप्त कर लिया है, जिसमें 99.92% बसे हुए गांवों (6,01,328 में से 6,00,868) को अब 5 किमी के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी)) द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। यह बैंकिंग विस्तार 17.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 1.81 लाख से अधिक बैंक शाखाओं, 17.36 लाख बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) और 1.65 लाख आईपीपीबी केंद्रों के मजबूत अवसंरचना द्वारा समर्थित है।

(ख): ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास है कि देश के सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेशन/इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) मुहैया कराया जाए।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूर्व अनुमोदन के बिना इस शर्त पर भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है कि 25% बैंक शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में हों।

इसके अलावा, आरबीआई के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में बैंकिंग आउटलेट्स को रोल आउट करना एक सतत प्रक्रिया है जिसकी देखरेख राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, सदस्य बैंकों और अन्य हितधारकों के परामर्श से की जाती है। बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई के अनुदेशों, अपनी कारोबार योजनाओं और उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आलोक में बैंकिंग आउटलेट्स खोलने के प्रस्तावों पर विचार करते हैं।

(ग): दिनांक 17-07-2026 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 58.77 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते हैं जिनमें 3,12,414 करोड़ रुपये की शेष धनराशि है।

(घ): कृषि ऋण की पारदर्शिता और समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

i. को सरकार-प्रायोजित ऋणों और सब्सिडी योजनाओं को जोड़ने के लिए जन समर्थ पोर्टल वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया है। यह आवेदक के डेटा के डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर ऋण के लिए आवेदन करने और उनकी समय पर मंजूरी देने का एक त्वरित और कुशल तरीका प्रदान करता है।

ii. कृषि ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न डिजिटल पहल शुरू की गई हैं। इनमें नाबार्ड द्वारा विकसित ई-केवाईसी एप्लिकेशन, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषिका और लाभार्थी की पहचान, आउटरीच, ऋण आवेदन प्रोसेसिंग और निगरानी में सहायता के लिए बैंकों द्वारा इसी तरह के डिजिटल एप्लिकेशन विकसित करना शामिल है।

iii. किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) को सितंबर 2023 में कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आरंभ किया गया है, जो केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के तहत आधार-आधारित लाभार्थी सत्यापन और डिजिटल दावा निपटान को सक्षम बनाता है।

(ङ): सरकार और आरबीआई डिजिटल भुगतान लेन-देन की साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने और नागरिकों को साइबर वित्तीय धोखाधड़ियों से नागरिकों को बचाने के लिए समय-समय पर विभिन्न पहलें करते रहे हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को रियल टाइम धोखाधड़ी आसूचना और अलर्ट साझा करने के लिए इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन (आईडीपीआईसी) की स्थापना की है।

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वेब और मोबाइल ऐप खतरों से निपटने के लिए फरवरी, 2021 में डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मानक निदेश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देशों में बैंकों को विभिन्न भुगतान चैनलों जैसे इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड पेमेंट आदि के लिए सुरक्षा नियंत्रण के सामान्य न्यूनतम मानकों को लागू करने का अधिदेश दिया गया है।

iii. आरबीआई ने मनी म्यूल की पहचान के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित टूल 'म्यूलहंटर' आरंभ किया है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इसका उपयोग करने की सलाह दी है।

iv. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय (एमएचए) डिजिटल उधार देने वाले ऐप्स का सक्रिय रूप से विश्लेषण कर रहा है। नागरिकों को फर्जी/अवैध ऋण ऐप सहित साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के साथ-साथ एक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर "1930" आरंभ किया है।

v. आरबीआई और बैंक लघु एसएमएस, रेडियो अभियान, साइबर अपराध की रोकथाम के संबंध में प्रचार के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं। इसके अलावा, आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जो धोखाधड़ियों और जोखिम न्यूनीकरण के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करता है।
